न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–220 सन् 1994

अम्बेदकर कुमार वगैरह..........................वादीगण।

बनाम

दिनापत राय वगैरह..................................प्रतिवादीगण।

दिनांक– 11.09.2023

वादी की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक 11.09.2023 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद के प्रतिवादी सं0 12 'ड़' नागेन्द्री कुंवर जौजे स्व0 चंद्रदीप राय की मृत्यु सन् 2020 में अपने कानूनी वारिसानों को छोड़कर हो गई है। उपरोक्त प्रतिवादी सं0 12 'ड़' के वारिसान उपरोक्त वाद में पूर्व से प्रतिवादी सं0 12 ता 12 'घ' हैं। ऐसी परिस्थिति में समुचित न्याय हेतु प्रतिवादी सं0 12 'ड़' का नाम अर्जीदावी से काटना अति आवश्यक है। अतः निवेदन है कि उपरोक्त वाद के प्रतिवादी सं0 12 'ड़' नागेन्द्री कुंवर जौजे स्व0 चंद्रदीप राय का नाम वादपत्र से कलमजद कर दिया जाए।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन को कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0 12 'ड़' नागेन्द्री कुंवर जौजे स्व0 चंद्रदीप राय थी जिनकी मृत्यु सन् 2020 में हो गई है। उपरोक्त प्रतिवादी सं0 12 'ड़' के वारिसान उपरोक्त वाद में पूर्व से प्रतिवादी सं0 12 ता 12 'घ' हैं। वादी की ओर से उक्त आवेदन विलंब से शपथ पत्र के साथ दाखिल किया गया है। अतः वादी की ओर से दाखिल प्रतिवादी सं0 12 'ड़' नागेन्द्री कुंवर जौजे स्व0 चंद्रदीप राय का नाम कलमजद करने हेतु दाखिल आवेदन दिनांक 11.09.2023 को 1000/–रूपये खर्चा के साथ विलंब माफ करते हुए न्यायाहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी खर्च की राशि नजारत बिहार सरकार के पक्ष में जमा करें।

सब जज

सोनपुर, सारण।

दिनांक– 11.09.2023

वादी की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक 11.09.2023 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद के प्रतिवादी सं0 15 अंजोरिया देवी जौजे स्व0 धनराज राय की मृत्यु हो गई है। प्रतिवादी सं0 15 के कानूनी वारिसान पूर्व से ही उक्त वाद में प्रतिवादी सं0 15 'क' से 15 'ख' हैं। ऐसी परिस्थिति में प्रतिवादी सं0 15 का नाम वादपत्र से कलमजद किया जाना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी सं0 15 अंजोरिया देवी का नाम वादपत्र से कलमजद करने की कृपा प्रदान की जाए।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन को कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0 15 अंजोरिया देवी जौजे स्व0 धनराज राय थी जिनकी मृत्यु हो गई है तथा प्रतिवादी सं0 15 की मृत्यु की तिथि दाखिल नहीं की गई है। उपरोक्त प्रतिवादी सं0 15 के कानूनी वारिसान उपरोक्त वाद में पूर्व से प्रतिवादी सं0 15 'क' से 15 'ख' हैं। वादी की ओर से उक्त आवेदन विलंब से शपथ पत्र के साथ दाखिल किया गया है। अतः वादी की ओर से दाखिल प्रतिवादी सं0 15 अंजोरिया देवी जौजे स्व0 धनराज राय का नाम कलमजद करने हेतु दाखिल आवेदन दिनांक 11.09.2023 को 1000/–रूपये खर्चा के साथ विलंब माफ करते हुए न्यायाहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी खर्च की राशि नजारत बिहार सरकार के पक्ष में जमा करें।

सब जज

सोनपुर, सारण।

दिनांक– 11.09.2023

वादी की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से

दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक 11.09.2023 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद के वादी सं0 08 मु0 महाजनी देवी जौजे बिन्देश्वर प्रसाद राय थी जिनकी मृत्यु दिनांक 01. 01.2019 को अपने कानूनी वारिसान दो पुत्री संजू देवी जौजे अरूण राय, बसंती देवी जौजे जयप्रकाश राय दोनों पुत्री बिन्देश्वरी राय को छोड़कर हो गई है। ऐसी परिस्थिति में वादी सं0 08 का नाम वादपत्र से कलमजद कर उनके दोनों पुत्रियों का नाम प्रतिस्थापित करना न्यायहित में आवश्यक है। अत : निवेदन है कि वादी सं0 08 मु0 महाजनी देवी का नाम वादपत्र से कलमजद कर उनके दोनों पुत्रियों का नाम कलमबद्ध करने की कृपा प्रदान की जाए। वादी की ओर से धारा–5 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत विलंब माफ करने तथा एबेटमेंट सेटेसाईट करने हेतु भी आवेदन दाखिल किया गया है।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन को कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी सं0 08 मु0 महाजनी देवी जौजे बिन्देश्वर प्रसाद राय थी जिनकी मृत्यु दिनांक 01.01.2019 को अपने कानूनी वारिसान दो पुत्री संजू देवी जौजे अरूण राय, बसंती देवी जौजे जयप्रकाश राय दोनों पुत्री बिन्देश्वरी राय को छोड़कर हो गई है। वादी की ओर से उक्त आवेदन विलंब से दाखिल किया गया है जिसके कारण वाद अबेट कर गया है। अतः वादी की ओर से दाखिल वादी सं0 08 मु0 महाजनी देवी का नाम वादपत्र से कलमजद करने तथा उनके कानूनी वारिसानों को प्रतिस्थापित करने हेतु दाखिल आवेदन दिनांक 11.09.2023 को 1000/–रूपये खर्चा के साथ विलंब माफ करते हुए तथा उपसमन अपास्त करते हुए न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी खर्च की राशि नजारत बिहार सरकार के पक्ष में जमा करें।

वाद दिनांक.......................को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर, सारण।